

संबंधित कार्यालय भकान उपलब्ध नहीं करवाते क्योंकि सम्पदा निदेशालय का एक नियम इसमें गाड़े आता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बलात हस्त-क्षेपी नियम को बनाये रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस नियम को निरस्त करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) मंत्रियों के निजी कोठे से मकानों के आवंटन के लिए कोई दोहरी नीति नहीं है। मंत्रियों के निजी स्टाफ में न रहने पर भी ऐसे कर्मचारी वास को रखने के पात्र हैं। तथापि ऐसा कोई कर्मचारी प्रपात्र संगठन में स्थानान्तरित होने पर साधारण पूल से आवंटित वास को रखने के लिए पात्र नहीं है। विभागीय पूल में बिना बारी के आधार पर वैकल्पिक आवास की छूट केवल उन अधिकारियों को उपलब्ध है जिन्हें अपनी बारी पर सरकारी आवास आवंटित है। निर्धारित बासों के आवंटनी अथवा ऐसे कर्मचारी, जिन्हें तदर्थ आधार पर वास आवंटित है (मंत्रियों के निजी स्टाफ सहित) ऐसे मामले जिनमें उनके कब्जे वाले मकानों को खाली करना अपेक्षित है, वैकल्पिक वास की इस छूट के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे आवंटनी मंत्रियों के निजी कोठे से आवंटन तथा उसके पश्चात् अपने विभागीय पूल से बिना बारी के आवंटन के रूप में साधारण पूल वास को और अधिक समय तक रखने के पात्र न रहने पर दोहरी छूट का लाभ न उठाएँ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

#### Allotment of post attach residences

3448. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: WiU the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to State:

(a) whether it is a fact that post attach residences are made available by the Directorate of Estates;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Directorate of Estate withdraw residential accommodation allotted on post attach basis; and

(d) if so, the details thereof for the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHA-LAM): (a) There is no separate provision in the Allotment rules for earmarking residence for a particular post. However, such requests received from the concerned Ministry/ Department are considered on merits.

(b) Residence have been earmarked for:

- (i) Director, IB
- (ii) Secretary (RAW)
- (iii) Foreign Secretary \*
- (iv) Chief of Protocol
- (v) Comptroller and Auditor General
- (vi) Director, CBI.

Further, 68 bungalows have been earmarked for allotment to the Union Council of Ministers and Leaders of Opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha through a Government Resolution dated 30-5-90.

(c) Such residence are required to be vacated immediately on change of incumbancy. However, retention is allowed to the outgoing incumbent for a period of one month if such accommodation can be spared.

(d) Does not arise.